

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 11/09/2026

विषय : अभियान के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों के आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण एवं मरम्मत के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा "अभियान" के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करने एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में से मुख्य रूप से पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन, ग्रामीण गली-नाली एवं ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट की आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन कराया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में सम्यक् विचारोपरांत योजनाओं के सुदृढीकरण, मरम्मत एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु योजनावार निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है:-

1. पंचायत सरकार भवन एवं पंचायत भवन:-

- (i) वैसे ग्राम पंचायत, जहाँ पंचायत कार्यालय का संचालन पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन में हो रहा है, उन भवनों का रंग रोगन एवं मरम्मत कार्य विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में कराया जायेगा।
- (ii) रंग रोगन एवं मरम्मत का कार्य दोष दायित्व अवधि (DLP) के समाप्त होने के उपरांत किया जायेगा।
- (iii) इस पर होने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होनेवाली अनुसूचना मद से किया जायेगा।
- (iv) सभी निर्मित पंचायत सरकार भवनों को अनिवार्य रूप से क्रियाशील कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाय।

कृ०पृ०उ०

2. ग्रामीण बसावटों में प्रमुख गली-नाली :-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के बसावटों में अवस्थित प्रमुख गली-नाली का निर्माण अबतक नहीं हुआ है तो इसका निर्माण विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) वैसे गली-नाली जो पूर्व में निर्मित है एवं निर्माणाधीन अवधि 05 वर्ष से अधिक हो गयी है एवं उसे मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है तो उसकी मरम्मत करायी जाय।

(iii) इस पर होने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग के मद के अंतर्गत प्राप्त होनेवाली अनुरक्षण मद से किया जायेगा।

3. ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट :-

(i) विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में शत-प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जायेगा।

(ii) अधिष्ठापन के उपरांत इसे CMS Portal से एकीकृत (Integrate) किया जायेगा।

(iii) अधिष्ठापित सोलर लाईट को CMS Portal के आधार पर समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत क्रियाशील किया जायेगा।

(iv) अधिष्ठापित सोलर लाईट में खराबी के उपरांत 24 घंटा के अंदर इसे सही कर क्रियाशील कराया जायेगा।

(v) विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में जिला स्तर पर संबंधित एजेंसी का Service Centre अधिष्ठापित करते हुए इसका सतत् अनुश्रवण किया जायेगा।

(vi) वैसे पोल जिसपर सोलर लाईट अधिष्ठापित है उन पोलों पर संबंधित एजेंसी का दो WhatsApp Number अंकित कराया जाय, ताकि लाईट खराब होने की स्थिति में आमजन एजेंसी से सम्पर्क कर सकें।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए "अभियान" को सफल बनाया जाय।

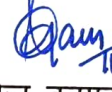
विश्वसभाजन
(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक- 2प/वि०-17-149/2019/13045/पं०रा० पटना, दिनांक 11/09/2026
प्रतिलिपि:-सभी उप विकास अयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्
/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


11/9/26.
(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक- 2प/वि०-17-149/2019/13045/पं०रा० पटना, दिनांक 11/09/2026
प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


11/9/26.
(मनोज कुमार)
सचिव